संख्या- 42 /2021/242 /30-3-21-07बी/2007टीसी

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 26 मार्च, 2021

विषय- सम्भागीय परिवहन कार्यालय-मुरादाबाद के कार्यालय भवन की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2829ए/2020-43ए/2020, दिनांक 14-01-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय-मुरादाबाद के कार्यालय भवन की छत मरम्मत के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण में प्रावधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से रू0 26.82 लाख (रू0 छब्बीस लाख बयासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शसनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(2) निर्माण कार्य की विशिष्टयां मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।
(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(4) प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
(6) प्रशासकीय विभाग योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(7) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(8) प्रशासकीय विभाग बजट अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 /2017 /बी-3-1034/दस-2017-100(4)/2002ब0मै0, दिनांक 21.11.2017 के प्राविधानानुसार बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2021/242(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, निर्माण प्रखण्ड-मुरादाबाद।
9- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।